यह निरीक्षण प्रतिवेदन **पशुचिकित्सा अधिकारी**, **पशुपालन विभाग**, **रामनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

पशुचिकित्सा अधिकारी, **पशुपालन विभाग**, **रामनगर** के माह 05/2012 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो घनश्याम पाल/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री राजेश कुमार डोभाल/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हरिओम/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 01/03/2019 से 02/03/2019 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की वर्तमान लेखापरीक्षा प्रथम बार की गयी। इस लेखापरीक्षा में माह 05/2012 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** विकास खंड हल्द्वानी के अंतर्गत पशुचिकित्सा, बधियाकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं अन्य विभागीय विकास कार्य। (ii) (अ) विगत सात वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		गैर योजनागत		योजनागत		आधिक्य (+)	बचत (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	-	-	83.35	83.35	-	-	-	-
2013-14	-	-	78.19	78.19	0.28	0.28	-	-
2014-15			93.31	93.31	6.19	6.19	-	-
2015-16	-	-	114.99	114.99	0.68	0.68	-	-
2016-17	-	-	125.178	125.178	0.30	0.30	-	-
2017-18	-	-	135.910	135.910	0.32	0.32	-	-
2018-19 (up to 01/2019 तक)	-	-	162.400	135.450	0.38	0.12	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2012-13 से 2018-19 (01/2019 तक)	**शून्य**					

(स) राज्य पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2015-16	जिला योजना	-	-	-	-	-
2016-17		-	0.30	0.30	-	-
2017-18		-	0.32	0.32	-	-
2018-19 (01/2019 तक)		-	0.38	0.12	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर योजनागत व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **'C'** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

––सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तराखंड शासन, देहरादून

––निदेशक, पशुपालन विभाग, देहरादून

---अपर निदेशक, कुमायूं मण्डल, पशुपालन विभाग, हल्द्वानी

---मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, नैनीताल (भीमताल)

---पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, रामनगर

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, रामनगर** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, रामनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016, 02/2017, 05/2017 एवं 12/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:1- स्टॉक पंजिका का सही रखरखाव नही करना एवं शासकीय प्राप्तियों के सापेक्ष प्राप्ति रसीद जारी नही किया जाना।

कार्यालय पशु चिकित्साधिकारी के क्रियाकलाप मे केन्द्रीय भंडार से प्राप्त दवाइयों का स्टॉक पंजिका मे संधारण तथा उनका वितरण हैं। नियमानुसार स्टॉक पंजिका मे केवल दवाइयों के नाम, मात्रा, प्राप्ति एवं निर्गत किए गए दवाइयों का विस्तृत विवरण ही इंद्रजित करना नही होता हैं बल्कि दवाइयों से संबन्धित दवाइयों की बैच संख्या, निर्माण एवं उनके कालातीत होने की तिथि भी दर्ज की जानी चाहिए। जिससे कालातीत हो चुकी दवाइयों के इस्तेमाल को रोका जा सके। एवं न ही Register of expiring medicine का संधारण किया जा रहा हैं।

उक्त के संबंध मे कार्यालय पशु चिकित्साधिकारी,रामनगर (नैनीताल) के लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि स्टॉक पंजिका मे दवाइयों से संबन्धित बैच संख्या, निर्माण एवं उनके कालातीत होने की तिथि दर्ज नही की जा रही हैं। एवं Register of expiring medicine (for watching expire date) का भी संधारण नही किया जा रहा हैं।

इसके अलावा अभिलेखों मे यह भी देखा गया हैं कि Consultation Fee के रूप मे प्राप्त शासकीय प्राप्तियों के सापेक्ष प्राप्ति रसीद जारी नही की जा रही हैं।

उक्त के संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि दिये गए निर्देशानुसार कार्यवाही अपना ली जाएगी।

अत: स्टॉक पंजिका का सही रखरखाव नही करने एवं शासकीय प्राप्तियों के सापेक्ष प्राप्ति रसीद जारी नही करने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग– ।।।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम सं0	निरीक्षणप्रतिवेदन संख्य	भाग– ।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग– ।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1. 2. 3.	नई इकाई			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग– IV

इकाई के सर्वोत्तमकार्य

––– शून्य –––

भाग–V

आभार

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) **श्री महेंद्र सिंह रावत/पशुधन प्रसार अधिकारी की सेवापुस्तिका।**

2. सतत् अनियमितताएं :

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0 नाम पदनाम

(1) डा॰ राजीव सिंह/पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 (वर्ष 2007 से 2014 तक)

(2) डा॰ योगेश अग्रवाल/ पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 (14.08.2015 से अब तक)

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नही ंहो सका उन्हे नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में ंसम्मिलित कर एक प्रति निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखंड,, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ आर्थिक क्षेत्र–।।, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)–उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2